रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-जे.के.-अ.-10112023-250005 CG-JK-E-10112023-250005

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 756] No. 756] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2023/कार्तिक 18, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2023/KARTIKA 18, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख

अधिसूचना

जम्म्, 1 नवम्बर 2023

क्रमांक--जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/12: — विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्या 36) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 181 के साथ पठित धारा 86(1)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों और इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है।

- 1: संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार
- 1.1. इन विनियमों को "संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (लोड पूर्वानुमान, संसाधन योजना और बिजली खरीद प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2023" कहा जाएगा।
- 1.2. ये विनियम जम्मू और कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल) और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सभी वितरण लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे और यह जेकेपीसीएल या किसी भी वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा की जाने वाली या प्रस्तावित पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों से बिजली की सभी अंतर/अंतर-राज्य खरीद पर लागू होगा।
- 1.3. ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

7089 GI/2023 (1)

2: परिभाषाएँ

- 2.1. इन विनियमों में, जब तक कि यह संदर्भ के प्रतिकूल न हो:
 - क. "अधिनियम" का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) है;
 - ख. **"आयोग"** का अर्थ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग है:
 - ग. **"जेकेपीसीएल"** का अर्थ है जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश ल**द्दा**ख में कार्यरत वितरण लाइसेंसधारियों की ओर से बिजली खरीदता है;
 - घ. **"दीर्घकालिक बिजली खरीद"** का अर्थ है सात साल से अधिक की अविध या कालाविध के लिए किसी व्यवस्था या समझौते के तहत बिजली की खरीद:
 - ङ. **"मध्यम अवधि बिजली खरीद"** का अर्थ है किसी भी व्यवस्था या समझौते के तहत तीन महीने से अधिक लेकिन पाँच वर्ष से कम की अवधि या कालावधि के लिए बिजली की खरीद;
 - च. "महीना" का अर्थ है ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर माह;
 - छ. **"पावर एक्सचेंज"** का अर्थ है केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बिजली के लिए पावर एक्सचेंज के रूप में काम करने वाला कोई भी एक्सचेंज:
 - ज. **"बिजली खरीद समझौता (पीपीए)"** का अर्थ है खरीदार और विक्रेता के बीच हुआ समझौता, जिसके अनुसार विक्रेता उसमें निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार खरीदार को बिजली की आपूर्ति करेगा;
 - झ. **"बिजली बिक्री समझौता (पीएसए)"** का अर्थ किसी भी बिजली खरीद समझौते के तहत खरीदी गई बिजली की आगे की बिक्री के लिए क्रेता इकाई (ओं) और मध्यस्थ खरीदार/व्यापारी के बीच एक के बाद एक किया गया समझौता होगा;
 - ञ. **"अल्पकालिक बिजली खरीद"** का अर्थ है किसी भी व्यवस्था या समझौते के तहत तीन महीने से कम या उसके बराबर अविध या कालाविध के लिए बिजली की खरीद; और
 - ट. "वर्ष" का अर्थ है कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल को शुरू होने वाला और अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष;
- 2.2. जब तक संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो, इन विनियमों में शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों में परिभाषित तथा संशोधित है।

3: बिजली खरीद योजना

- 3.1. जेकेपीसीएल के साथ वितरण लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 5 साल की अविध के लिए बिजली खरीद योजना तैयार करेगा। योजना में इन विनियमों के अनुसार, मांग-आपूर्ति की स्थिति के अनुसार, बिजली खरीद के दीर्घकालिक, मध्यम अविध और अल्पकालिक स्रोत शामिल हो सकते हैं।
- 3.2. बिजली खरीद योजना बिजली की मांग, ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की स्थिति के दीर्घकालिक पूर्वानुमान और दीर्घकालिक/मध्यम/अल्पकालिक बिजली खरीद समझौतों/व्यवस्थाओं के विकास की आवश्यकता के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है:
 - क. राज्य के स्वामित्व वाले पुराने और साथ ही नई पीढ़ी के स्रोत;
 - ख. केंद्रीय क्षेत्र के संयंत्र:
 - ग. स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी);
 - घ. कैप्टिव विद्युत संयंत्र;
 - ङ. पावर ट्रेडिंग कंपनियाँ;
 - च. बिजली बाजार; और
 - छ. कोई अन्य स्रोत.

4: बिजली खरीद योजना के लिए रूपरेखा

4.1. एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए जेकेपीसीएल के परामर्श से वितरण लाइसेंसधारी व्यवसाय योजना के एक भाग के रूप में अनुमोदन के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ बिजली खरीद योजना प्रस्तुत करेगा: बिजली खरीद क्रय योजना, जैसा कि व्यवसाय योजना के तहत प्रस्तुत की गई है, हर साल वितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर की जाने वाली एआरआर याचिका के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की जाएगी:

- 4.2. 5-वर्षीय बिजली खरीद योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - क. प्रत्येक वर्ष के लिए मासिक और वार्षिक मांग प्रक्षेपण (मेगावाट) और ऊर्जा आवश्यकता (एमय्);
 - ख. राज्य के स्वामित्व वाले स्टेशनों से मासिक और वार्षिक उपलब्धता का पूर्वानुमान और उन सभी स्टेशनों या स्रोतों से खरीदारी जिनके साथ लाइसेंसधारी के पास दीर्घकालिक/मध्यम अवधि के पीपीए हैं;
 - ग. पीक और ऑफ-पीक अवधि (दैनिक/मासिक 24-घंटे लोड वक्र के अनुसार) पर विचार करते हुए मांग-आपूर्ति घाटे का आकलन और घाटे को पाटने की योजना और तदनुसार संसाधन योजना;
 - घ. प्रासंगिक नियमों में निर्दिष्ट आरपीओ आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुमोदित आरपीओ प्रक्षेपवक्र पर विचार करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से की जाने वाली खरीद की मात्रा;
 - ङ. बिजली खरीद योजना में ट्रांसमिशन और अन्य आकस्मिक शुल्कों सहित बिजली खरीद की लागत के लिए संयंत्र-वार वार्षिक अनुमान भी शामिल होगा: बशर्ते कि बिजली खरीद लागत को अन्य प्रासंगिक विनियमों के साथ पढ़े गए मौजूदा एमवाईटी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विवेकपूर्ण जांच के बाद खुदरा आपूर्ति टैरिफ में अनुमित दी जाएगी;
 - च. मांग का पूर्वानुमान और उपलब्धता का आकलन नीचे विनियम 4.4 से 4.15 के अनुसार विस्तृत होगा।
- 4.3. योजना की जांच करते समय आयोग ऐसी अतिरिक्त जानकारी और डेटा मांग सकता है जिसे वह बिजली खरीद योजना की समीक्षा के लिए आवश्यक समझे और वितरण लाइसेंसधारी/जेकेपीसीएल, आयोग द्वारा जब भी अपेक्षित हो, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा और तकनीकी सत्यापन के दौरान, लाइसेंसधारी बिजली खरीद पूर्वानुमान पद्धित का प्रदर्शन करेगा।

क. मांग और ऊर्जा पूर्वानुमान:

- 4.4. मूल्यांकन ऐतिहासिक डेटा के रुझानों और सांख्यिकीय विश्लेषण, भविष्य के अनुमानों और व्यावसायिक योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्वानुमानित परिणामों पर आधारित होगा।
- 4.5. मांग और ऊर्जा पूर्वानुमान निम्नलिखित को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा:
 - क) पिछली अवधि और समय श्रृंखला विश्लेषण के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि/चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के आधार पर श्रेणी-वार मासिक ऊर्जा खपत और मासिक और वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता का पूर्वानुमान।
 - ख) समग्र आर्थिक विकास अनुमान;
 - ग) श्रेणियों के लिए उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन, कनेक्टेड लोड (किलोवाट) में अपेक्षित वृद्धि, लोड वृद्धि/लोड कटौती/नए कनेक्शन/डिस्कनेक्शन के लिए आवेदन, और प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी के लिए माहवार ऊर्जा खपत;
 - घ) उपभोक्ताओं के खुली पहुंच और कैप्टिव उत्पादन में संभावित स्विचओवर का प्रभाव;
 - ङ) बैटरी, पंप स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन आदि सहित भंडारण क्षमताओं का प्रभाव;
 - च) विभिन्न पहलों के तहत स्थापित विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का प्रभाव;
 - छ) केंद्र शासित प्रदेश सरकार/केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित नई योजनाओं के कारण प्रभाव;
 - ज) महत्वपूर्ण त्योहारों, कार्य दिवसों या गैर-कार्य दिवसों का प्रभाव, पीक और ऑफ-पीक घंटों का लोड पैटर्न, संचालन के घंटे और मौसमी बदलाव, फसल पैटर्न, वर्षा पैटर्न, आदि का प्रभाव;
 - झ) आयोग के प्रासंगिक विनियमों के अनुसार आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए;
 - ञ) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और मांग पक्ष प्रबंधन के लिए उठाए गए उपाय और प्रस्तावित उपाय;
- 4.6. वितरण लाइसेंसधारी पूर्वानुमान के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा अपनाई गई पद्धित या अर्थमितीय विश्लेषण जैसी किसी अन्य पद्धित का पालन कर सकते हैं।
- 4.7. लाइसेंसधारी विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के दैनिक उपभोग पैटर्न को समझने के लिए लोड रिसर्च अध्ययन करेगा और यह भी समझेगा कि उनके उपयोग में विविधता मांग वक्र को समतल करने में कैसे मदद करती है।

ख. उपलब्धता का आकलन:

- 4.8. जेकेपीसीएल के साथ वितरण लाइसेंसधारी मौजूदा उत्पादन क्षमता और किसी भी पाइपलाइन क्षमता का प्रौद्योगिकी/ईंधन-वार वर्गीकरण करेंगे, जिसे ऊर्जा मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए इष्टतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जोड़ने की योजना बनाई गई है।
- 4.9. जेकेपीसीएल के साथ वितरण लाइसेंसधारी पारंपरिक बिजली स्रोतों के साथ आरई एकीकरण और उच्च मांग वाले मौसमों के दौरान चरम भार को पूरा करने के लिए विभिन्न भंडारण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए विभिन्न परिदृश्यों के साथ एक संसाधन योजना विकसित करेंगे।
- 4.10. राज्य के थर्मल पावर प्लांट की प्लांट उपलब्धता (पीएएफ) को पिछले पैटर्न के आधार गिना जाएगा। केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के मामले में, कोयला आधारित और गैस आधारित इकाइयों के लिए लागू सीईए/सीईआरसी के अनुसार योजना मानदंडों पर विचार किया जा सकता है। आईपीपी के मामले में, बिजली की उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए पिछले प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा। सभी नई/आगामी थर्मल परियोजनाओं के लिए पीएएफ पर राज्य/केंद्रीय टैरिफ नियमों में दिए गए मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा।
- 4.11. मौजूदा सौर और गैर-सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) पर संयंत्र के पिछले प्रदर्शन के आधार पर विचार किया जाएगा। नई/आगामी परियोजनाओं के लिए सीयूएफ का अनुमान संयंत्र के पीपीए के अनुसार सीयूएफ पर विचार करते हुए लगाया जाएगा।
- 4.12. हाइड्रो पावर प्लांट (एचपीपी) से उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए, पिछले वर्षों के वर्षा पैटर्न और संबंधित वास्तविक माह-वार ऊर्जा उपलब्धता पर विचार किया जाएगा, जिससे आगामी वर्षों के लिए ऊर्जा की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए उत्पादन पैटर्न में मौसमी बदलाव को दर्शाया जाएगा।
- 4.13. वितरण लाइसेंसधारी/जेकेपीसीएल विभिन्न बिजली संयंत्रों के लिए सहायक खपत पर विचार करने के मामले में विनियम 4.10 से 4.12 में ऊपर वर्णित समान पद्धति का पालन करेंगे।
- 4.14. नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से खरीदी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा संबंधित विनियमों और उनके संशोधनों में आरपीओ प्रक्षेपवक्र के अनुसार होगी।
- 4.15. ऊर्जा उपलब्धता का अनुमान लगाते समय, वितरण लाइसेंसधारी/जेकेपीसीएल चरम अविध के दौरान बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग/बिजली बाजार और अन्य राज्य के स्वामित्व वाली उपयोगिताओं के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था जैसे अन्य विकल्पों का पता लगाएगा।

ग. परामर्श को शामिल करने के लिए मूल्यांकन:

4.16. वितरण लाइसेंसधारी / जेकेपीसीएल राज्य उत्पादन कंपनियों, वितरण लाइसेंसधारियों, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों और ट्रांसिमशन कंपनियों / राष्ट्रीय / राज्य / क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणसहित किसी भी या सभी संबंधितों के परामर्श से दीर्घकालिक / मध्यम अविध की मांग और आपूर्ति उपलब्धता का आकलन करेगा।

घ. अन्य बातें:

- 4.17. कोई भी नई क्षमता व्यवस्था/टाई-अप आवश्यकता, बिजली खरीद की लागत की तर्कसंगतता और कुशल, किफायती और न्यायसंगत तरीके से काम को बढ़ावा देने के मद्देनजर आयोग की पूर्व मंजूरी के अधीन होगी।
- 4.18. विभिन्न स्रोतों से दीर्घकालिक/मध्यम अवधि/अल्पकालिक बिजली की सभी खरीद समय-समय पर केंद्र सरकार/आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों/नियमों/विनियमों के अनुसार की जाएगी।
- 4.19. वितरण लाइसेंसधारियों/जेकेपीसीएल द्वारा किया गया कोई भी नया बिजली खरीद समझौता या मौजूदा बिजली खरीद समझौते (पीपीए)/बिजली बिक्री समझौते (पीएसए) में किया गया संशोधन आयोग की पूर्व मंजूरी के अधीन होगा।

5: बिजली खरीद में बदलाव

5.1. वितरण लाइसेंसधारी/जेकेपीसीएल इस विनियम के अनुसार, आयोग द्वारा अनुमोदित बिजली खरीद योजना के अलावा, वर्ष के दौरान अतिरिक्त बिजली खरीद कर सकता है।

भारत का राजपत्र : असाधारण

बशर्ते कि जब बिजली की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई हो या वर्ष के दौरान आपूर्ति के किसी अनुमोदित स्रोत से बिजली की आपूर्ति में कमी या विफलता या जब मौजूदा गठबंधन स्रोतों से बिजली की सोर्सिंग अन्य उपलब्ध वैकल्पिक स्रोतों की तुलना में महंगी हो जाती है, वितरण लाइसेंसधारी/जेकेपीसीएल बिजली की खरीद के लिए अतिरिक्त समझौते या व्यवस्था में प्रवेश कर सकते हैं।

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी/जेकेपीसीएल, वितरण प्रणाली की स्थिरता को खतरे में डालने वाली आपातकालीन स्थितियों का सामना करने पर, या आयोग द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर, या जब ग्रिड विफलता को रोकने के लिए एसएलडीसी द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना बिजली की खरीद के लिए एक अल्पकालिक व्यवस्था या समझौता कर सकते हैं

5.2. अल्पकालिक बिजली खरीद के लिए किसी समझौते या व्यवस्था में प्रवेश करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, जिसके लिए पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया है, वितरण लाइसेंसधारी / जेकेपीसीएल आयोग को अपना विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें मात्रा, टैरिफ गणना, अवधि, आपूर्तिकर्ता विवरण, आपूर्तिकर्ता चयन की विधि और ऐसे अन्य विवरण शामिल होंगे जिनकी आयोग को आवश्यकता हो सकती है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि इस विनियम में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया है।

6: वेबसाइटों पर जानकारी प्रस्तुत करना

- 6.1. वितरण लाइसेंसधारियों/जेकेपीसीएल द्वारा मासिक/साप्ताहिक/दिन-आगे/अंतर्दिवसीय बिजली खरीद/बिक्री और जनरेटर शेड्यूल को ऐसी खरीद/बिक्री के 30 दिनों के भीतर वितरण लाइसेंसधारियों/जेकेपीसीएल और एसएलडीसी की वेबसाइटों, जैसा लागू हो, पर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वर्तमान और साथ ही संग्रहीत डेटा तक पहुंच आसान हो सके।
- 6.2. एसएलडीसी अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक उत्पादन स्टेशन की प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत के साथ मासिक मेरिट ऑर्डर डिस्पैच (एमओडी) स्टैक भी प्रकाशित करेगा।

7: एक समर्पित सेल का गठन

7.1. विनियमन लागू होने के तीन महीने के भीतर जेकेपीसीएल द्वारा बिजली खरीद के लिए चौबीसों घंटे चलने वाले समर्पित सेल का गठन किया जाएगा। सेल में ऊर्जा पूर्वानुमान के लिए अपेक्षित क्षमता और उपकरण होने चाहिए। यह सेल ऊर्जा पूर्वानुमान लगाने के लिए वितरण लाइसेंसधारियों के साथ समन्वय और परामर्श करेगा। सेल के पास पावर एक्सचेंजों या किसी अन्य माध्यम से वास्तविक समय, दिन के भीतर, अगले दिन, अगले सप्ताह या किसी भी लंबी अविध में ऊर्जा खरीदने/बेचने की शक्ति होगी। जेकेपीसीएल इस विनियम की भावना के अनुरूप समर्पित सेल के तौर-तरीकों के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार करेगा और इन विनियमों के लागू होने के 45 दिनों के भीतर आयोग को इसके बारे में सूचित करेगा।

8: मिश्रित

क. इन विनियमों का गैर-अनुपालन:

8.1. वितरण लाइसेंसधारियों/जेकेपीसीएल द्वारा इन विनियमों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में, आयोग, जैसा उचित समझे, जुर्माना लगाने के अलावा, विद्युत अधिनियम 2003 के उचित प्रावधानों के अनुसार स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू कर सकता है।

ख. आदेश और अभ्यास निर्देश जारी करना:

8.2. विद्युत अधिनियम 2003 और इन विनियमों के प्रावधान के अधीन, आयोग, समय-समय पर, विनियमों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश और अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है।

ग. कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियाँ:

8.3. यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, एसएलडीसी, जनरेटर, लाइसेंसधारियों, जेकेपीसीएल और ओपन एक्सेस ग्राहक को अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न होते हुए उचित कार्यवाही करने का निर्देश दें सकता है, जो आयोग को कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है।

8.4. वितरण लाइसेंसधारी, जेकेपीसीएल और एसएलडीसी आयोग को आवेदन कर सकते हैं और इन नियमों के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को दर करने के लिए उपयक्त आदेश मांग सकते हैं।

घ. संशोधन करने की शक्ति:

8.5. आयोग आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद समय-समय पर इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़, बदल, परिवर्तित, सुधार या संशोधित कर सकता है।

ङ. जमा पूंजी:

- 8.6. इन विनियमों में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक ऐसे आदेश देने के लिए आयोग की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करता है।
- 8.7. इन विनियमों में कुछ भी आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग, किसी मामले या वर्ग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामलों और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग से निपटने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन मानता है।
- 8.8. इन विनियमों में कुछ भी, स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से, आयोग को किसी भी मामले से निपटने या अधिनियम के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं और आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कार्यों से उनके द्वारा उचित समझे गए तरीकों से निपट सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा।

वी.के. धर. (जेकेएएस) सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./538/2023-24]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

For The UT of J&K and the UT of Ladakh.

NOTIFICATION

Jammu, the 1st, November 2023

No.--JERC-JKL/REG/2023/12:— In exercise of the powers conferred under Section 86(1)(b) read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) (hereinafter referred to as the 'Act'), and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and UT of Ladakh hereby makes the following Regulations.

1: SHORT TITLE, COMMENCEMENT, AND EXTENT

- 1.1 These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Guidelines for Load Forecasts, Resources Plans, and Power Procurement Process) Regulations, 2023.
- 1.2 These Regulations shall apply to Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd (JKPCL) and all the Distribution Licensees in the territory of the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh and shall be applicable to all inter/intra state purchases of power from conventional and renewable sources made or proposed to be made by JKPCL or by any Distribution Licensees.
- 1.3 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2: DEFINITIONS

- 2.1 In these Regulations, unless it is repugnant to the context:
 - a. "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - b. "Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh;
 - "JKPCL" means the Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd, who procures power on behalf of the Distribution Licensees operating in the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh;

- d. "Long-term power procurement" means Procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration exceeding seven years;
- e. "Medium-term power procurement" means Procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration exceeding three months but not exceeding five years;
- f. "Month" means a calendar month as per the British Calendar;
- g. "Power Exchanges" mean any Exchanges operating as power exchanges for electricity in terms of the guidelines issued by the Central Electricity Regulatory Commission;
- h. "Power Purchase Agreement (PPA)" means the agreement entered into between the Procurer(s) and the Seller pursuant to which the Seller shall supply power to the Procurer(s) as per the terms and conditions specified therein;
- i. "Power Sale Agreement (PSA)" shall mean the back-to-back agreement entered into between the Buying Entity(s) and the Intermediary Procurer/trader for the onward sale of power purchased under any power purchase agreement;
- j. "Short-Term Power Procurement" means Procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration less than or equal to three months; and
- k. "**Year**" means the financial year commencing on 1st April of the calendar year and ending on 31st March of the subsequent calendar year;
- 2.2 Unless the context otherwise requires, the words and expressions in these Regulations shall bear the same meaning as defined in the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), and Regulations notified by the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh and amendments thereof.

3: POWER PROCUREMENT PLAN

- 3.1 The Distribution Licensee along with JKPCL shall prepare the power procurement plan for a period of 5 years with due regard to the requirement of electricity in its area of supply. The plan may include long-term, mediumterm, and short-term sources of power purchase, as per demand–supply position, in accordance with these Regulations.
- 3.2 The Power Procurement plan presents a framework for long-term forecasting of power demand, energy requirement, and supply positions and the need for the development of Long/ Medium/Short Term Power purchase agreements/arrangements with:
 - a. State-owned old as well as new generation sources;
 - b. Central sector plants;
 - c. Independent power producers (IPP);
 - d. Captive Power Plants;
 - e. Power Trading Companies;
 - f. Power Market; and
 - g. Any other source.

4: FRAMEWORK FOR POWER PROCUREMENT PLANNING

4.1 The Distribution Licensee in consultation with JKPCL for the MYT control period shall submit the Power Procurement Plan along with necessary supporting documents for approval as a part of the Business Plan:

The Power Purchase procurement plan, as submitted under the Business plan, shall be submitted as a part of the ARR petition to be filed by the Distribution licensee every year;

- 4.2 The 5-year power procurement plan would comprise the following:
 - a. Monthly and yearly demand projection (MW) and energy requirement (MU) for each year;
 - b. Forecast of monthly and yearly availability from state-owned stations and purchases from all stations or sources with which the Licensee has long-term/medium-term PPAs;
 - c. Assessment of the demand-supply deficit considering peak, and off-peak periods (as per daily/monthly 24-hour load curve) and plans to bridge the deficit and resource planning accordingly;
 - d. Quantum of purchase to be made from Renewable Energy Plants considering the approved RPO trajectory to meet the RPO requirement as specified in the relevant regulations;
 - e. The power procurement plan shall also include a plant-wise yearly estimate for the cost of power purchase including transmission and other incidental charges:

Provided that power purchase cost shall be allowed in Retail Supply Tariff after exercising prudence check as per provisions in prevailing MYT Regulations read with other relevant Regulations;

- f. The demand forecast and assessment of availability shall be as detailed in Regulations 4.4 to 4.15 below.
- 4.3 While examining the plan the Commission may call for such additional information and data as it may deem necessary for reviewing the Power Procurement Plan and the Distribution Licensee / JKPCL shall furnish such information, as and when required by the Commission and during technical validation, the licensee shall demonstrate the power procurement forecast methodology.

A. Demand and Energy Forecast:

- 4.4 The assessment shall be based on trends and statistical analysis of historical data, future projections, and forecasted results of the implementation of business plans.
- 4.5 The demand and energy forecast shall be prepared considering the following:
 - a) Category-wise monthly energy consumption and monthly & yearly energy requirement forecast based on the year-on-year growth/Compound Annual Growth Rate (CAGR) for the past period and time series analysis.
 - b) Overall economic growth projections;
 - c) Change in number of consumers for categories, expected increase in connected load (kW), applications for load enhancement/load reduction/new connections/disconnections, and the month-wise energy consumption for each consumer category;
 - d) The impact of the possible switchover of consumers to open access and captive generation;
 - Impact of Storage capacities including Batteries, Pump Storage systems, Electric Vehicle charging stations, etc.;
 - f) Impact of decentralized renewable energy plants set up under various initiatives;
 - g) Impact due to new schemes implemented by UT Govt/Central Government;
 - h) The effect of important festivals, working days or non-working days, the impact of Peak and Off-peak hours load pattern, hours of operation, and seasonal variations, cropping pattern, rainfall pattern, etc;
 - i) Standards to be maintained with regard to quality and reliability of supply, in accordance with the relevant Regulations of the Commission;
 - j) Measures taken and proposed for energy conservation, energy efficiency, and Demand Side Management;
- 4.6 The Distribution Licensee(s) may follow the methodology adopted by the Central Electricity Authority (CEA) or any other method like econometric analysis for forecasting.
- 4.7 The Licensee shall carry out Load Research studies of various consumer categories to understand their diurnal consumption pattern and how diversity in their usages helps in flattening the demand curve.

B. Assessment of Availability:

- 4.8 The Distribution Licensees along with JKPCL shall carry out technology/fuel-wise categorization of existing generation capacity and any pipeline capacity which has been planned to be added to get an optimal energy mix to meet the rise in energy demand.
- 4.9 The Distribution Licensees along with JKPCL shall develop a resource plan with different scenarios for RE integration with conventional power sources and the adoption of different storage technologies to meet the peak load during high-demand seasons.
- 4.10 The Plant Availability (PAF) of the State Thermal power plants shall be considered on the basis of past patterns. In the case of Central Generating stations, the planning norms as per CEA/CERC as applicable for coal-based and gas-based units may be considered. In the case of IPPs, past performance shall be considered to estimate the availability of power. PAF for all new/upcoming thermal projects shall be considered as per norms provided in the State/Central tariff regulations.
- 4.11 The Capacity Utilization Factor (CUF) of existing solar and non-solar power plants shall be considered on the basis of the past performance of the plant. For new/upcoming projects the CUF shall be estimated considering CUF as per the PPA of the plant.
- 4.12 For estimating availability from Hydro Power Plants (HPPs), past years' rainfall pattern and corresponding actual month-wise energy availability shall be considered, thereby reflecting the seasonal variation in generation pattern for estimating the quantum of energy for forthcoming years.
- 4.13 The Distribution Licensees / JKPCL shall follow a similar method as detailed above in Regulations 4.10 to 4.12 in case of consideration of Auxiliary consumption for different power plants.
- 4.14 The quantum of energy to be procured from renewable energy plants shall be as per the RPO trajectory in the relevant Regulations and amendments thereof.

4.15 While estimating the energy availability, the Distribution Licensees / JKPCL shall explore other options like banking/power market and bilateral arrangements with other state-owned utilities to ensure power availability during Peak Periods.

C. Assessment to Involve Consultation:

4.16 The Distribution Licensees / JKPCL shall make long-term/medium-term demand and supply availability assessments in consultation with any or all concerned including State Generating Companies, Distribution Licensees, Central Generating Companies and Transmission Companies / National / State/Regional Load Dispatch Centres, and Central Electricity Authority.

D. Other Considerations:

- 4.17 Any new Capacity arrangement/tie-up shall be subject to the prior approval of the Commission in view of necessity, the reasonableness of the cost of power purchase, and promotion of working in an efficient, economical, and equitable manner.
- 4.18 All procurement of long-term/medium-term/short-term power from various sources shall be carried out as per the guidelines/rules/ Regulations issued by the Central Government/Commission from time to time.
- 4.19 Any new power purchase agreements or amendments to existing Power Purchase Agreements (PPAs')/ Power Sale Agreements (PSA) entered into by the Distribution Licensees/ JKPCL shall be subject to the prior approval of the Commission.

5: VARIATION IN POWER PURCHASE

- 5.1 The Distribution Licensees / JKPCL may undertake additional power procurement during the year, over and above the power procurement plan approved by the Commission, in accordance with this Regulation.
 - Provided that where there has been an unanticipated increase in the demand for electricity or a shortfall or failure in the supply of electricity from any approved source of supply during the year or when the sourcing of power from existing tied-up sources becomes costlier than other available alternative sources, the Distribution Licensees /JKPCL may enter into additional agreement or arrangement for the procurement of power.
 - Provided that the Distribution Licensees / JKPCL may enter into a short-term arrangement or agreement for the procurement of power without the prior approval of the Commission when faced with emergency conditions that threaten the stability of the distribution system, or when directed to do so by the SLDC to prevent grid failure.
- 5.2 Within thirty days from the date of entering into an agreement or arrangement for short-term power procurement for which prior approval is not taken, the Distribution Licensees / JKPCL shall submit to the Commission its details, including the quantum, Tariff computations, duration, supplier particulars, method of supplier selection and such other details as the Commission may require so as to assess that the conditions specified in this Regulation have been complied with.

6. PLACING OF INFORMATION ON WEBSITES

- 6.1 The monthly/weekly/day-ahead/intraday power procurements/sale by the Distribution Licensees / JKPCL and generator schedule shall be made available on the websites of the Distribution Licensees / JKPCL, as applicable, and SLDC within 30 days of such procurements/sale with ease of access to the current as well as archived data.
- 6.2 SLDC shall also publish the monthly Merit Order Dispatch (MoD) stack along with per unit variable cost of each generating station on their website.

7: CONSTITUTION OF A DEDICATED CELL

7.1 Around-the-clock dedicated cell for power procurement shall be constituted by JKPCL within three months of the regulation coming into force. The cell should have the requisite capability and tools for energy forecast. The cell shall co-ordinate and consult with the Distribution Licensees to do the energy forecasting. The cell shall have the power to purchase/sell the energy in real-time, intra-day, day-ahead, week ahead, or any longer duration through Power Exchanges or any other means. JKPCL shall frame suitable guidelines for the modus operandi of the dedicated cell in line with the spirit of this Regulation and apprise the Commission for the same within 45 days of the coming into force of these Regulations.

8: MISCELLANEOUS

A. Non-Compliance with these Regulations:

8.1 In the event of the Distribution Licensees / JKPCL not complying with these regulations, the Commission, in addition to imposing such penalty as it may deem fit, may initiate Suo-Motu proceedings as per appropriate provisions of the Electricity Act 2003.

B. Issue of Orders and Practice Directions:

8.2 Subject to the provision of the Electricity Act 2003 and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of the regulations and procedures to be followed.

C. Powers to Remove Difficulties:

- 8.3 If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, direct the SLDC, generators, licensees, JKPCL and the Open Access Customer, to take suitable action, not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.
- 8.4 The Distribution Licensees, JKPCL and SLDC may make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulties that may arise in the implementation of these regulations.

D. Power to amend:

8.5 The Commission may from time to time add, vary, alter, modify, or amend any provisions of these regulations after following the necessary procedures.

E. Savings:

- 8.6 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission
- 8.7 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- 8.8 Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission from dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

By order of the Commission.

V.K.DHAR, (JKAS), Secy. [ADVT.-III/4/Extey.538/2023-24]